e-Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)
स0सं0:–01 / भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19 / 2021................

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा, भा0प्र0से0
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
पटना / मुजफ्फरपुर / गया / भागलपुर / भोजपुर / सारण / दरभंगा / औरंगाबाद / कैमूर / बक्सर / वैशाली / रोहतास / पूर्वी0 चम्पारण / मधुबनी / समस्तीपुर / सिवान / गोपालगंज / नवादा।

पटना, दिनांक :–

विषय :– जिलों में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य से संबंधित विगत सर्वेक्षण के खतियान का तेरीज प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) तैयार कराये जाने के संबंध में।

प्रसंग :– भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना का पत्रांक– 3000 दिनांक– 21.10.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में स्पष्ट करना है कि उच्च स्तरीय निर्णय के आलोक में अगले दो वर्षों में 2024 तक सम्पूर्ण राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य पूर्ण किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के प्रत्येक अंचल में एक सर्वेक्षण शिविर गठित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व से स्वीकृत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के पद के अतिरिक्त नये पद स्वीकृत कर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है एवं नियोजन तथा प्रशिक्षण के पश्चात् फरवरी–2023 से राज्य के सभी अंचलों में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

उक्त कार्य के आलोक में राज्य में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य को ससमय पूरा करने के लिए आवश्यक है कि जिले में विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त का वास्तविक क्षेत्रीय कार्य यथा–किस्तवार आदि प्रारंभ करने के पूर्व ही विशेष सर्वेक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत आनेवाले महत्त्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लिया जाय ताकि विशेष सर्वेक्षण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा किया जा सके। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त की पूर्व गतिविधियों में विगत सर्वेक्षण की खतियानी विवरणी (तेरीज) प्रपत्र–5 का संधारण का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य के अंतर्गत जिला अभिलेखागार में उपलब्ध प्रत्येक ग्राम के खतियान की विवरणी को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 यथा संशोधित, 2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संधारित किया जाना है। अतः उक्त के आलोक में आवश्यक है कि यह कार्य वर्त्तमान समय में आपके जिले में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों द्वारा अगले दो माह में पूर्ण कर लिया जाय।

राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रपत्र–5 संधारित करने के लिए निम्नरूपेण कार्य–योजना बनाई जा सकती है:–

1. जिला स्तर पर प्रपत्र–5 के संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रपत्रों की छपाई कर प्रत्येक ग्राम के लिए खतियानी विवरणी की पंजी का निर्माण। इस कार्य हेतु जिलों में कुल ग्रामों की संख्या के आलोक में प्रपत्रों का आकलन कर प्रपत्रों की छपाई के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा आपके जिला बन्दोबस्त कार्यालय को आवंटन उपलब्ध कराया गया है।

2. जिला स्थित ग्रामों की संख्या एवं जिले में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों की संख्या के आलोक में प्रत्येक राजस्व कर्मचारी को हल्कावार आने वाले राजस्व ग्राम की प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी) संधारित करने के लिए ग्रामों का आवंटन।
3. राजस्व कर्मचारियों को आवंटित किये गये राजस्व ग्रामों में विगत सर्वेक्षण के अनुसार अवस्थित खेसरा की संख्या के अनुसार एक ग्राम की खतियानी विवरणी संधारण करने में लगने वाले समय का आकलन करते हुए लक्ष्य का निर्धारण (एक राजस्व कर्मचारी द्वारा एक दिन में खतियान के न्यूनतम 100 पृष्ठों का प्रपत्र–5 तैयार किये जाने का लक्ष्य तय किया जा सकता है।) निर्धारित किये गये लक्ष्य के अनुसार साप्ताहिक समीक्षा एवं भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना।
4. जिले के बन्दोबस्त कार्यालय में पदस्थापित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/रिक्त रहने की स्थिति किसी अन्य पदाधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप प्राधिकृत किया जाना।
5. नोडल पदाधिकारी द्वारा भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना से समन्वय स्थापित कर जिले के मास्टर ट्रेनर के रूप में कर्मियों को प्राधिकृत किया जाना एवं निदेशालय स्तर से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु दिनांक– 30.11.2022 के पूर्व भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को मास्टर ट्रेनों की सूची उपलब्ध कराना।
6. जिला में प्रभारी, जिला अभिलेखागार को प्रपत्र–5 तैयार करने के लिए कर्मियों को खतियान की उपलब्धता सुनिश्चित करने अथवा समाहरणालय के अभिलेखाार अथवा अन्य कक्ष में इस कार्य को करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु निदेश।

विषयांकित कार्य के लिए भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के स0ब0प0, श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य किया जाएगा, जिनका मोबाईल नं0–9431047452 है। जिला के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण आदि कार्य के साथ इस संबंध में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

अनुलग्नक– प्रपत्र–5 (खतियानी विवरणी का प्रपत्र एवं पंजी का प्रारूप)।

विश्वासभाजन
ह0/–
(ब्रजेश मेहरोत्रा)
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः – 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021 4197 **पटना, दिनांक** :– 23/11/2022

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, बन्दोबस्त, पटना/मुजफ्फरपुर/गया/भागलपुर/भोजपुर/सारण/दरभंगा/औरंगाबाद/कैमूर/बक्सर/वैशाली/रोहतास/पूर्वी चम्पारण/मधुबनी/समस्तीपुर/सिवान/गोपालगंज/नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

D:\Sanjeev-2022\Birendra kumar Aso\director\file no 19 2021 22.11.2022.doc

ज्ञापांकः – 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021 4197 पटना, दिनांक :– 23/11/2022

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी/सहायक निदेशक/प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण शाखा/सभी जिलों के नोडल पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः – 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021 4197 पटना, दिनांक :– 23/11/2022

प्रतिलिपिः– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0 सेल, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः – 01/भू0अ0नि0 (3) सर्वेक्षण कार्यक्रम–18 जिला 19/2021 4197 पटना, दिनांक :– 23/11/2022

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

23/11/22

अपर मुख्य सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग